न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– चन्दन दुबे
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या :– 01 / 2024

सरपंच, ग्राम पंचायत बिरोल, पंचायत समिति व तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू।
– निगरानीकार

–बनाम–

1. अमरचन्द पुत्र श्री जगदेवाराम, उम्र 50 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बिरोल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू राज.।
2. तरसेम पुत्र श्री जगदेवाराम, उम्र 50 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बिरोल, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू राज.।,

– गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध
पट्टा संख्या 25 दिनांक 21.02.2022 ग्राम पंचायत बिरोल,
तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू (राज0)।

उपस्थितिः–

1. श्री महिपाल सिंह कपूरिया, एडवोकेट ––––––निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री किशोर कड़ायल, एडवोकेट –––––गैर निगरानीकार की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक 08.02.2024

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 25 दिनाक 21.02.2022 ग्राम पंचायत बिरोल के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि– निगरानीकार का कथन है कि उसके द्वारा गैर निगरानीकारान के हक में पट्टा संख्या 25 दिनाक 21.02.2022 ग्राम पंचायत बिरोल जारी किया गया है जो गैर निगरानीकारान द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर व मुगालते में

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2024.02.26 11:31:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

रखकर विधि विरूद्ध जारी करवाया गया है। उक्त पट्टा आबादी भूमि में जारी किया गया है जो गैर निगरानीकारान एवं उसके अन्य परिवारजनों की संयुक्त शामलाती पैतृक आबादी भूमि है जिस पर गैर निगरानीकारान एवं उसके परिवारजन के मकानात बने हुए है। उक्त आबादी भूमि पर गैर निगरानीकारान एवं उसके अन्य परिवारजन काबिज है। गैर निगरानीकार ने झुठे तथ्य प्रस्तुत कर निगरानीकार को मुगालते में रखकर बाला बाला ही गलत पट्टा संख्या 25 दिनांक 21.02.2022 जारी करवा लिया है। इस कारण उक्त पट्टा खारिज योग्य है। विधि अनुसार संयुक्त स्वामित्व की भूमि में किसी एक या एक से ज्यादा कब्जाधारियों को पट्टा जारी नही कर सभी संयुक्त कब्जाधारियों के पट्टे जारी करने चाहिए थे। वर्तमान में निगरानीकार को मौखिक रूप से जानकारी मिली की गैर निगरानीकार द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर तथा गलत कथन कर अपने हक में गलत पट्टा जारी करवा लिया है तब निगरानीकार ने स्वयं के स्तर पर जांच की तो गैर निगरानीकार के उपरोक्त कृत्य कर गलत पट्टा जारी करवाने की जानकारी हुई। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत बिरोल द्वारा जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 21.02.2022 को निरस्त किया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस निगरानी सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:— निगरानीकार द्वारा गैर निगरानीकारान के हक में पट्टा संख्या 25 दिनाक 21.02.2022 ग्राम पंचायत बिरोल [illegible] निगरानीकारान द्वारा झुठे तथ्यों के आधार पर व मुगालते [illegible] या गया है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2024.02.26 11:31:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

पट्टा आबादी भूमि में जारी किया गया है जो गैर निगरानीकारान एवं उसके अन्य परिवारजनों की संयुक्त शामलाती पैतृक आबादी भूमि है जिस पर गैर निगरानीकारान एवं उसके परिवारजन के मकानात बने हुए है। उक्त आबादी भूमि पर गैर निगरानीकारान एवं उसके अन्य परिवारजन काबिज है। गैर निगरानीकार ने झुठे तथ्य प्रस्तुत कर निगरानीकार को मुगालते में रखकर बाला बाला ही गलत पट्टा संख्या 25 दिनांक 21.02.2022 जारी करवा लिया है। इस कारण उक्त पट्टा खारिज योग्य है। विधि अनुसार संयुक्त स्वामित्व की भूमि में किसी एक या एक से ज्यादा कब्जाधारियों को पट्टा जारी नही कर सभी संयुक्त कब्जाधारियों के पट्टे जारी करने चाहिए थे। वर्तमान में निगरानीकार को मौखिक रूप से जानकारी मिली की गैर निगरानीकार द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर तथा गलत कथन कर अपने हक में गलत पट्टा जारी करवा लिया है तब निगरानीकार ने स्वयं के स्तर पर जांच की तो गैर निगरानीकार के उपरोक्त कृत्य कर गलत पट्टा जारी करवाने की जानकारी हुई। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत बिरोल द्वारा जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 21.02.2022 को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार का कथन है कि– विवादित भूमि गैरनिगरानीकारान एवं उनके परिवारजनों के संयुक्त कब्जे की भूमि है। गैर निगरानीकारान ने स्वयं उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त पट्टे को खारिज करने में अपनी सहमति जताई है। अतः उक्त पट्टा संख्या 25 दिनांक 21.02.2022 को निरस्त किया जाता है तो गैर निगारानीकारान को कोई आपति नही है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत बिरोल के पट्टा संख्या 25 दिनांक 21.02.2022 की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। निगरानीकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2024.02.26 11:31:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

कथनानुसार उक्त पट्टा झूठे तथ्यों एवं मुगालते में रखकर जारी करवाया गया है तथा निगरानीकार द्वारा पट्टा जारी करते समय सभी नियमों का पालन किया गया है। गैर निगरानीकारान द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र पेश कर पट्टा निरस्त करने में अपनी सहमति जताई है। जिससे यह साफ जाहिर है कि विवादित भूमि संयुक्त कब्जाधारियों की भूमि है जिस पर गैरनिगारानीकारान ने गलत तरीके से झूठे तथ्य प्रस्तुत कर उक्त पट्टा जारी करवाया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर हस्तगत प्रकरण में गैर निगारानीकारान के नाम जारी पट्टा संख्या–25 दिनांक 21.02.2022 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(चन्दन दुबे)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2024.02.26 11:31:59 IST
Reason: SelfAttested